राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः रालसा/सामान्य/2012/3121–3338 दिनांक :– 2–5–2012

प्रेषिति :–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान

अध्यक्ष,
तालुक विधिक सेवा समिति,
(ए.डी.जे./ए.सी.जे.एम./जे.एम)
समस्त राजस्थान।

विषयः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी स्कीम National Legal Services Authority Legal Aid Clinic Regulation 2011के प्रभावी कियान्वयन के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी पत्र दिनांक 24–5–2010, 27–9–2010, 9–6–2011 द्वारा इस कम में जारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण Legal Aid Clinic Regulation 2011, Para Legal Volunteer Scheme तथा Annual Action Plan- 2011-12, 2012-13 द्वारा प्रत्येक Legal Services Institution (जहां कि जिला प्राधिकरण, तालुक समिति स्थापित है) ग्राम पंचायत अथवा Cluster of villages, जैल, विधि महाविद्यालय, विधि विश्व–विद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम अथवा अन्य स्थान जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष उचित समझे, विधिक सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic) खोले जाकर प्रभावी रूप से संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। इस संबंध में विस्तृत प्रावधान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Aid Clinic) Regulation 2011 के विनियम 14 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस हेतु राज्य में दिशानिर्देश जारी किया जाना अपेक्षित किया हुआ है।

वर्णित Regulation 2011 एवं संबंधित Para Legal Volunteer Scheme की प्रतियां यद्यपि इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व मे प्रेषित की जा चुकी है किन्तु पत्र के सन्दर्भ में पुनः संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित की जा रही है।

वर्णित रेगूलेशनस के कियान्वयन हेतु प्रावधान, प्रकिया, विस्तृत गाईड लाईनस्, संधारित किये जाने वाले अभिलेख एवं इस कम में पैरा लीगल वोलेन्टीयरो के चयन, पात्रता, कर्तव्य, उनकी ट्रेनिंग की विषयवस्तु आदि बाबत उल्लेख संबंधित संलग्न रेगूलेशन 2011 एवं पी.एल.वी.स्कीम (Para Legal Volunteer Scheme) में किया हुआ है फिर भी इस कम में प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रकिया व सुविधा हेतु निर्देशानुसार पृथक से कुछ दिशानिर्देश भी जारी किये जा रहे है जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रारम्भिक तौर पर वर्णित एक–एक विधिक सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic) प्रत्येक जिला प्राधिकरण, तालुक समिति, सेन्ट्रल जेल, जिला जेल, तथा सब–जेल पर खोला जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में चार–चार अन्य स्थानों पर कि जिसमे विधि महाविद्यालय,

विधि विश्व विद्यालय, ग्राम पंचायत अथवा Cluster of villages, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत समिति आदि ऐसे स्थानों पर भी खोले जा सकते है कि जहां इन क्लिनिकों की उपयोगिता अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधिकाधिक प्रतीत हो। ऐसे क्लिनिक खोले जाने के लिये यह अपेक्षा की गई है कि एक कमरा, संबंधित सस्ंथा अथवा कार्यालय उपलबध करावेंगें। ग्रामीण क्षेत्र मे प्रशासन के सहयोग से ऐसा क्लिनिक राजीव गांधी सेवा सदन मे भी, उपयोगिता को ध्यान मे रखते हुये, खोला जा सकता है।

2. Legal Aid Clinic (विधिक सहायता क्लिनिक) जिला प्राधिकरण तथा तालुक समिति मुख्यालय पर फ्रन्ट ऑफिस के रूप में भी कार्य करेगें तथा उपरोक्त वर्णित अन्य क्लिनिक सामान्यतः ऐसे स्थानों पर खोले जावेगें जहां पर आम–जन बिना कठिनाई के पहुंच सके।
3. उक्त स्कीम के क्लाज–13 मुताबिक क्लिनिक के बाहर एक साईन बोर्ड, जिसमें क्लिनिक का नाम, कार्य घण्टे, कार्य दिवस, तथा पृथक से एक साइन बोर्ड में क्लिनिक पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का उल्लेख होगा, लगाया जावेगा।
4. वर्णित क्लिनिक, संबंधित क्षेत्र के जिला प्राधिकरण अथवा तालुक समिति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगें तथा संबंधित प्राधिकरण/समिति इन क्लिनिकों पर वांछित सामग्री की उपलब्धता की सुनिश्चितता करेगें कि जिससे व्यक्ति को वांछित जानकारी प्राप्त होकर उसकी समस्या का निदान हो सके। कारागृह में खोले जाने वाले वर्णित क्लिनिक के लिये स्थान उपलब्ध करवाये जाने बाबत संबंधित जेल अधीक्षक को निवेदन कर क्लिनिक स्थापित किया जावेगा। इसके लिये आधारभूत सुविधाऐं संबंधित संस्था/कार्यालय/जेल आदि द्वारा ही उपलब्ध कराये जावेगें कि जिनमे एक टेबल आवश्यकतानुसार कुर्सियां, अलमारी आदि अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाये जावेगें तथा यदि किन्ही परिस्थितियों में किसी संस्था, कार्यालय द्वारा वर्णित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये जाने मे असमर्थता प्रकट की जाती है तो स्कीम के क्लॉज–14 मुताबिक जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा इनकी व्यवस्था करवाई जा सकेगी।
5. प्रारम्भिक तौर पर वर्णित क्लिनिक के कार्य दिवस निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैः–
   (1) जिला प्राधिकरण/तालुक समिति मुख्यालय पर क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस **न्यायालय के कार्य दिवसों व समय के अनुसार** खोले जावेगें।
   (2) केन्दीय/जिला कारागृह पर खोले जाने वाले क्लिनिक **प्रति सप्ताह दो दिन कार्यशील** रहेगें तथा आवश्यकतानुसार सब–जेल पर **प्रति सप्ताह एक दिन कार्यशील** रहेगें जिन्हे कि संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुक समिति, संबंधित जेल प्रशासन से विचार–विमर्श कर अधिकतम उपयोगिता दिवस को ध्यान में रखते हुये, निर्धारित करेगे।
   (3) उपरोक्त के अतिरिक्त जिले के पूरे न्यायक्षेत्र में अन्य खोले जाने वाले चार–चार विधिक सेवा क्लिनिक **सप्ताह में दो दिन कार्यशील** रहेगें जिनके लिये भी अधिकतम उपयोगिता दिवस का निर्धारण संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।

   वर्ण्ति क्लिनिक पूर्णतः संबंधित जिला प्राधिकरण अथवा संबंधित तालुक विधिक सेवा समिति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगें तथा क्लिनिक का कार्य समय सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक रहेगा।
6. वर्णित क्लिनिक पर प्रचार–प्रसार, विधिक जानकारी संबंधित सामग्री, आवश्यक स्टेशनरी खर्च, पैरा लीगल वोलेनटीयरों को देय मानदेय राशि आदि संबंधित क्षेत्र के जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा उपलब्ध करवाये जा सकेगे। इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से जारी व प्रभावी विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं बाबत सामग्री अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण/तालुक

समिति द्वारा, जिला प्रशासन से सम्पर्क करते हुये, इन क्लिनिकों पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जावेगी।

7. इस प्रकार के क्लिनिक के संचालन के लिये प्रत्येक जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा पूर्व प्रेषित निर्देशानुसार पैरा लीगल वोलेनटीयरों का पैनल, संबधित पैरा लीगल वोलेनटीयर स्कीम अनुसार तैयार कर रखा जावेगा जिसकी संख्या प्रारम्भिक तौर पर अधिकतम संख्या, जिला मुख्यालय पर 20 तथा तालुक मुख्यालय पर 10 की होगी। यद्यपि जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा पूर्व मे पैरा लीगल वोलेन्टीयरों के नामों से संबंधित कुछ सूचियां इस कार्यालय को प्रेषित की गई थी किन्तु वर्णित स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में स्कीम में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान मे रखते हुये पैरा लीगल वोलेन्टीयरों का चयन स्व–विवेक से जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रक्रियानुसार अपने–अपने मुख्यालय पर करने की अधिकारिता होगी। इसके लिये क्षेत्र विशेष के लिये स्वैच्छिक सेवा देने वाला वोलेन्टीयर, उस क्षेत्र का निवासी उपयुक्त व्यक्ति, शासकीय/अर्द्वशासकीय/स्वायत शासन सेवा, विश्व विद्यालय, महाविद्यालय आदि के सेवा निवृत व्यक्ति, आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विधि छात्र–छात्राऐं, महिला संगठनों के सदस्य, महिला स्वंय सेवा समूह के सदस्य, पंचायत राज और नगर पालिका/निगम संस्थाओं के स्वैच्छिक कार्यकर्तागण, एन.एस.एस. यूनिट के कार्यकर्तागण आदि ऐसे व्यक्ति, जो जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा पैरा लीगल वोलेन्टीयर के रूप में पहचाने या चयनित किये जाने के लिये उपयुक्त समझे जावें, हो सकते है।

    (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैरा लीगल वोलेन्टीयरों के चयन मे यह विशेष ध्यान रखा जावे कि ऐसा व्यक्ति राजनैतिक एवं वकालत क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिऐ)

8. पैरा लीगल वोलेन्टीयर का कार्यकाल प्रारम्भिक तौर पर सामन्यतः 6 माह का रखा जावे जो कि उस वॉलेन्टीयर द्वारा दी जाने वाली सन्तोषप्रद सेवाओ एवं व्यवहार आदि पर निर्भर होगा तथा जिला प्राधिकरण/समिति के अध्यक्ष के अनुसार, वोलेन्टीयरों की सेवाऐं सन्तोषजनक पाये जाने पर, आगामी term के लिये संबंधित वोलेन्टीयर के कार्यो को Review कर बढ़ाया जा सकेगा। संबंधित चयनित पैरा लीगल वोलेन्टीयर के नाम, पते, टेलिफोन नम्बर फोटाग्राफ आदि विवरण प्राधिकरण/समिति में रखा जावेगा तथा इसकी सूची पृथक से अविलम्ब राज्य प्राधिकरण को भी भेजी जावेगी।

9. प्रत्येक विधिक सेवा क्लिनिक पर फिलहाल एक–एक पैरा लीगल वोलेन्टीयर की नियुक्ति की जावेगी किन्तु उसके किसी कारणवश मुख्यालय पर नहीं रहने की स्थिति में अन्य प्रशिक्षित पैरा लीगल वोलेन्टीयर को निर्देशित किया जा सकेगा।

10. संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुक समिति स्तर पर रखे जाने वाले अधिवक्ताओं के पैनल मे से एक अधिवक्ता को, जो क्लिनिक अनुसार पृथक–पृथक हो सकते है, बतौर पैनल अधिवक्ता पाक्षिक रूप से ऐसे क्लिनिक पर विधिक सेवा/राय देने हेतु विजिट के लिये निर्देशित किया जावेगा जो इस हेतु अपना दिवस निश्चित कर क्लिनिक पर उपयोगीता व आवश्यकतानुसार विधिक सेवा, विधिक सलाह भी देगा।

11. प्रत्येक जिला/उप कारागृह मे खोले जाने वाले क्लिनिक पर selected long term prisoners को भी, उनकी उपयोगितानुसार, बतौर पैरा लीगल वोलेन्टीयर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे selected long term prisoners पैरा लीगल वॉलेन्टीयर, संबंधित अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के द्वारा, संबंधित जेल अधीक्षक की सलाह से मनोनित

किये जा सकेगें। ऐसे selected long term prisoners पैरा लीगल वॉलेन्टीयर, संबंधित जेल क्लिनिकों पर, उपरोक्त निर्देशानुसार अपनी सेवाऐं देगें, जिनका उद्वेश्य जेल मे बन्द under trial/ सजायाप्ता व्यक्तियों के लिये, आवश्यकतानुसार जमानत प्रार्थना पत्र, अपील आवेदन, पैरोल आवेदन या अन्य वांछित सूचना (जिसके लिये प्रपत्र तैयार कर राज्य प्राधिकरण द्वारा पृथक से जेलों मे उपलब्ध करवाये गये है) भरवाई जाकर, उनकी समस्याओं का समाधान उपलबध करवाने का प्रयास करेगें व आवश्ययकतानुसार विभिन्न कानूनी बिन्दुओं पर सलाह के लिये पैनल अधिवक्ता की सेवाऐं भी उपरोक्तानुसार जेल क्लिनिकों पर उपलब्ध करवाई जावेगीं। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि जेल क्लिनिकों पर selected long term prisoners के अतिरिक्त, उपरोक्तानुसार पैरा लीगल वोलेन्टीयर, पृथक से क्लिनिक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जोड़ा जाना प्राधिकरण/समिति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तो वह भी पृथक से जोड़ा जा सकता है। इन जेल क्लिनिकों पर भी उपरोक्तानुसार वांछित सूचना के साईन बोर्ड व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहेगी।

12. पैरा लीगल वोलेन्टीयर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं/कर्तव्यों का उल्लेख, संबंधित पैरा लीगल वोलेनटीयर स्कीम तथा रेगूलेशन के क्लॉज 9, 10 व 16 में उल्लेखित किये गये है फिर भी सुविधा को ध्यान मे रखते हुये इनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार किया जाता हैः–

पैरा लीगल वोलेन्टीयर के कर्तव्यः–

1– पैरा लीगल वोलेन्टीयर, अपने गांव, मौहल्ले एवं आस–पास के नागरिकों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिये, उनके अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूक करेगा।

2– पैरा लीगल वोलेन्टीयर, नागरिकों को विवादों/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हे विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से अपने प्रकरणों/विवादों को निराकरण हेतु सम्पर्क करने हेतु प्रोत्साहित/जागरूक करेगा।

3– पैरा लीगल वोलेन्टीयर, अपने कार्य क्षेत्र में विधि व नियमों को भंग करने वाले या अन्याय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व, संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुक समिति को दूरभाष पर या लिखित सूचना देगा या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो प्रतिकार करने वाला हो, तुरन्त कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

4– पैरा लीगल वोलेन्टीयर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुक विधिक सेवा समिति को, विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने मे सहयोग देगा।

5– पैरा लीगल वोलेन्टीयर, आम नागरिकों को राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण/तालुक समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारीयां देगा। उक्त संस्थाओं के पत्र व्यवहार के पतों की जानकारी देगा तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराते हुये जागरूक करेगा।

6– पैरा लीगल वोलेन्टीयर, मुकदमा पूर्व विवादों को, जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के माध्यम से निपटाने के लिये प्रोत्साहित करेगा तथा यह प्रचार–प्रसार करेगा कि मुकदमा पूर्व विवाद बिना किसी व्यय व समय खर्च किये, लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते है, जिसमे किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस भी देय नहीं है।

7— पैरा लीगल वोलेन्टीयर, आम नागरिकों को जानकारी देकर जागरूक करेगा कि न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरणों को, लोक अदालत अथवा मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से, समझौते के आधार पर निपटा लिये जाने पर, उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने के हकदार है तथा लोक अदालत मे निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।

8— पैरा लीगल वोलेन्टीयर, आम नागरिकों को जन—उपयोगी सेवाओं, जैसे यातायात, डाक, तार, या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या बीमा संबंधी सेवाओं से संबंधित विवादों को, स्थाई लोक अदालत के माध्यम से, बिना खर्च के निपटाया जा सकता है, जागरूक करेगा।

9— पैरा लीगल वोलेन्टीयर, विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा शासन द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यकमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद प्रचार—प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन, महत्वपूर्ण, प्रसिद्व लोक स्थानों, मेलो आदि में करेगा।

10— पैरा लीगल वोलेन्टीयर, संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

11— पैरा लीगल वोलेन्टीयर, अपने क्षेत्र में स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों के प्रभावी कार्य सम्पादन में सकिय सहयोग देगा।

पैरा लीगल वोलेन्टीयर को पदच्युत किया जाना या हटाया जानाः— पैरा लीगल वोलेन्टीयर को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाया जा सकेगाः—

1— विधिक सेवा योजनाओं के कियान्वयन मे सहयोग नहीं देना तथा रूची नहीं रखना,

2— दिवालिया घोषित हो जाना,

3— किसी अपराध का अभियुक्त होना,

4— पैरा लीगल वोलेन्टीयर के रूप में काय करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना,

5— राजनैतिक पार्टीयों से संबंध रखना,

6— अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरा लीगल वोलेन्टीयर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

पैरा लीगल वोलेन्टीयर का पहचान पत्रः—

संबंधित अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा, उनके द्वारा चयनित किये गये पैरा लीगल वोलेन्टीयरस् को फोटो युक्त पहचान पत्र, राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जावेगा जिसमे उसका नाम, पिता का नाम, स्थाई व अस्थाई पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पदस्थापन स्थान का नाम, कार्यक्षेत्र का विवरण तथा पहचान पत्र की वैद्यता की अवधि आदि अंकित किये जावें।

विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर कार्यरत पैरा लीगल वोलेन्टीयर व विजिट करने वाले पैनल अधिवक्ता को देय मानदेय :—

विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर कार्य करने वाले पैरा लीगल वोलेन्टीयर को प्रति कार्य दिवस हेतु 250/— रूपये एवं विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर विजिट करने

वाले पैनल अधिवक्ता को प्रति विजिट 500/– रूपये मानदेय देय होगा । इसके लिये सम्बंधित क्लिनिक पर एक उपस्थिति रजिस्टर होगा जिसमें पैरा लीगल वोलेन्टीयरों एव पैनल अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।

पैरा लीगल वोलेन्टीयर एवं पैनल अधिवक्ता के कार्य दिवसों के सम्बन्ध मे, राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देर्शों की पालना की जावें तथा उन्ही निर्देशों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जावे।

विधिक सहायता क्लिनिक के पैनल अधिवक्ता के कर्तव्यः–

1. संबंधित विधिक सहायता क्लिनिक पर आवश्यकतानुसार वांछित विधिक जानकारी उपलब्ध कराना।
2. आवश्यकतानुसार ड्राफ्ट, वांछित विभिन्न आवेदन, पत्राचार, याचिकाओं आदि को तैयार करना।
3. क्लिनिक पर उपस्थिति आवेदकों के लिये पैरा लीगल वोलेन्टीयर द्वारा की जाने वाली सेवाओं में वांछित सहयोग प्रदान करना तथा राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण के द्वारा समय–समय पर निर्देशित अन्य कार्य करना।

विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही के इन्द्राज हेतु रजिस्टर का संधारण :–

विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही के इन्द्राज करने के लिये रजिस्टरों का संधारण, राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, पैरा लीगल वोलेन्टीयर द्वारा रखा किया जावेगा। इस रजिस्टर में उपस्थित होने वाले व्यक्ति का नाम, पता, टेलिफोन नम्बर, यदि कोई हो, उसके द्वारा प्रकट समस्या का संक्षिप्त विवरण तथा समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण का उल्लेख तथा आवेदक के हस्ताक्षर होगें। यदि समस्याग्रस्त व्यक्ति को विधिक सेवाओं की आवश्यकता रही हो तो विधिक सेवाओं के लिये उसका आवेदन पत्र कहॉ भेजा गया आदि का भी उल्लेख किया जावेगा।

इसी प्रकार विधिक सहायता क्लिनिक के लिये मनोनित पैनल अधिवक्ता भी, स्वंय की उपस्थिति मय दिनांक व समय के दर्ज करने के साथ ही, उसके द्वारा क्लिनिक पर किये जाने वाले विभिन्न कार्यो का उल्लेख, क्लिनिक पर संधारित रजिस्टर मे करेगा।

पैरा लीगल वोलेन्टीयर व पैनल अधिवक्तों की सेवायें कहॉ–कहॉ ली जा सकेगी :–

पैरा लीगल वोलेन्टीयर व पैनल अधिवक्ता की सेवायें, जिला अथवा तालुक स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों में, विधिक जागरूकता शिविरों तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु भी ली जा सकेगी। इसके लिये उनकी नियुक्ती के साथ–साथ पृथक से अन्डरटेकिंग भी ली जावेगी कि वह सम्बंधित स्कीम व उनको दिये गये उत्तरदायित्वों की सीमा तक ही अपनी कार्यशैली को नियंत्रित रखेंगे व अपने पद का किसी प्रकार का विभागीय दुरूपयोग नहीं करेगें। पैरा लीगल वोलेन्टीयर व पैनल अधिवक्ता की क्षमता का सार्वजनिक क्षेत्र में दुरूपयोग नहीं हो, इसकी सुनिश्चितता भी अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण अथवा तालुक समिति द्वारा की जावेगी ।

पैरा लीगल वोलेन्टीयर का प्रशिक्षण, सामग्री, बजट आदि :–

प्रारम्भिक तौर पर पैरा लीगल वोलेन्टीयर का प्रशिक्षण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा करवाया जावेगा। इसकी सामग्री, विषयवस्तु अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय/राज्य प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के मुताबिक तैयार करवाई जा सकेगी तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा भी पृथक से तैयार कर भिजवाई जा सकेगी। आवश्यकतानुसार तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा, क्षेत्र विशेष में प्रचलित बिन्दु विशेष, समस्या विशेष तथा वांछित विधिक जानकारी से सम्बन्धित पुस्तिका भी तैयार की जा सकेगी।

प्रत्येक जिले मे खोले जाने वाले विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस के लिये प्रारम्भिक तौर पर जिला प्राधिकरण स्तर पर 20 तथा तालुक समिति स्तर पर 10 पैरा लीगल वोलेन्टीयरस् का चयन किया जाकर उनको प्रशिक्षण दिया जावे।

पैरा लीगल वोलेन्टीयरों को प्रशिक्षण दिये जाने के लिये प्रशिक्षक, संबंधित अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण द्वारा तय किये जावे। प्रशिक्षक के रूप में सेवारत अथवा सेवानिवृत न्यायिक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, विधि व्याख्याता को उनकी रूची के अनुसार, अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण द्वारा चयनित किये जा सकेगें। जब तक राज्य प्राधिकरण के स्पष्ट निर्देश नहीं हो तब तक प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के लिये किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

पैरा लीगल वोलेन्टीयरों के प्रशिक्षण की अवधि दो दिन की होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम, विषयवस्तुवार, अलग–अलग सेशन मे विभाजित कर तैयार किया जावें। प्रशिक्षण के लिये 3000/– रू. प्रति ट्रेनिगं सेशन खर्च किये जा सकेगें जिसका भुगतान धारा 4(सी) में आवंटित बजट मे से अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्देशित विशिष्ट बजट मे से किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार इससे अधिक खर्च होने की सम्भावना पर राज्य प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

इस सम्बन्ध में यू0एन0डी0पी0 के प्रस्ताव मुताबिक पृथक से एम0ए0आर0जी0 अथवा अन्य निर्देशित किसी संस्था के जरिये भी पृथक से सघन प्रशिक्षण यथा समय, उपलब्धता व स्वीकृति अनुसार करवाये जाने का प्रयास किया जावेगा।

<u>प्रशिक्षण की विषयवस्तु :–</u>

यद्यपि पैरा लीगल वोलेन्टीयरों के प्रशिक्षिण की विषयवस्तु व प्रक्रिया का उल्लेख पैरा लीगल वोलेन्टीयर स्कीम में विस्तृत रूप से किया गया है जिसकी पालना सुनिश्चित करवाई जानी अपेक्षित है जिनमे मुख्यतः एफ0आई0आर0 सम्बंधी प्रावधान, जमानत, गिरफ्तारी, बन्दियों के विधिक अधिकार, मूलभूत एवं संवैधानिक अधिकार एवं जानकारी, महिलाओं के सामान्य कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या प्रोटेक्शन एक्ट, दहेज कानून, धारा 125 द0प्र0सं0, घरेलू हिंसा, एस0सी0एस0टी0 अधिनियम, दुर्घटना सम्बंधी प्रावधान, क्षतिपूर्ति कानून, प्रतिकर स्कीम, प्रोमेजरी नोट, जन्म मृत्यु सम्बंधी प्रावधान, विवाह पंजीकरण, सामान्य रेवेन्यू कानून, लोक अदालत, ए0डी0आर0, फ्री लीगल एड, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न स्कीमें/एक्ट की सामान्य जानकारी, संरक्षक, दत्तक, हिन्दू विवाह अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, विद्यार्थियों से सम्बंधित कानूनी जानकारी, क्षेत्र विशेष में प्रचलित सामान्य विषयों से सम्बंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी आदि की जानकारी भी शामिल की गई है।

<u>बजटः–</u>

पैरा लीगल वोलेन्टीयरों, पैनल अधिवक्तोंा के मानदेय, प्रशिक्षण व क्लिनिक के संचालन हेतु बजट यथा निर्देश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बजट 4–सी अथवा 13वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत बजट से किये जाने के आदेश पृथक से इस कार्यालय द्वारा जारी किये जा सकेंगे तथा इस सम्बन्ध में जारी निर्देश मुताबिक ही बजट की उपयोगिता, सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व ताल्लुका विधिक सेवा समिति द्वारा की जावेगी।

<u>अधिवक्ता पैनलः–</u>

विधिक सहायता क्लिनिकों के संचालन मे स्वेच्छा से सेवाऐं देने वाले अधिवक्ताओं का पैनल, जिसमे कि कम से कम 3 वर्ष की वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता शामिल किये जावेगें, पृथक से प्रत्येक जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा, वर्णित रेगुलेशन 2011 के रेगूलेशन–8 मुताबिक रखा जाना भी अपेक्षित किया गया है।

विधिक सहायता क्लिनिक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के अधिकाधिक प्रचार–प्रसार का कार्य रेगूलेशन 2011 के रेगूलेशन–15 के मुताबिक किया जावेगा।

उपरोक्त वर्णित दिशानिर्देश की पालना में किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति मे कृपया संलग्न National Legal Aid Clinic Regulation 2011, Project of Para Legal Volunteer of NALSA and Para Legal Volunteer Scheme (संशोधित) का अवलोकन करने का श्रम करें।

पैरा लीगल वोलेन्टीयर का चयन, ट्रेनिंग व क्लिनिक के प्रभावी क्रियान्वयन/संचालन की पालना रिपोर्ट

निर्देशानुसार यह भी निवेदन है कि आपके न्यायिक क्षेत्र में उपरोक्तानुसार विधिक सहायता क्लिनिक खोले जाकर इसके प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन की पालना रिपोर्ट माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा **<u>दिनांक 15 मई 2012</u>** से पूर्व आवश्यक रूप से चाही गई है। अतः इस क्रम में निवेदन है कि वर्णित निर्धारित तिथि से पूर्व उपरोक्तानुसार पैरा लीगल वोलेन्टीयरों का चयन कर तथा पैनल लॉयरों का भी पैनल तैयार कर संबंधित रेगूलेशन की मंशानुसार संबंधित सभी की ट्रेनिंग उपरोक्तानुसार करवाई जाकर पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करवाने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(के.बी.कट्टा)
सदस्य सचिव.

(Format of Identity Card to be issued by concern DLSA/TLSC)

Name District Legal Services Authority/ Taluk Legal Services Committee
……………………….

Para Legal Volunteer Registration No. ------ (……)   Valid up to …./…/2012

Photograph of

Para Legal Volunteer.

Name ………………………….

Father/Husband Name …………………

Occupation …………………….

Address ……………………….

Signature of Para Legal Volunteer.

Signature of Secretary, DLSA with date and Seal.

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

On back side of Card

DUTIES OF PLV's.

To keep a watch on the acts of injustice.

To report the acts of injustice to the nearest Legal Services Authority/ Committee

To organize Legal Awareness Camps.

To educate citizens to enable them to be aware of their rights to leave with human dignity and to enable them to enjoy all constitutional rights.

To spread awareness about the benefits of settlement of disputes through arbitration, conciliation, mediation and lok adalats.

To create awareness among citizens for settlement of their disputes relating to electricity, water supply, sewerage and sanitation, insurance, hospitals, transport, banking, telephone/mobile, postal services etc. through permanent lok adalats (Public Utility Services)

To manage legal aid clinics

---

1. Please return this Identity Card after expiry.
2. Please registered F.I.R. if it is kept.

विधिक सहायता क्लिनिक का रोजनामचा

विधिक सहायता क्लिनिक का स्थान ....

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला ....

नगर पालिका/नगर निगम .... वार्ड संख्या .... जिला ....

क्लिनिक पर मनोनित पैरा लीगल वोलेन्टीयर का नाम ....

क्लिनिक पर मनोनित पैनल अधिवक्ता का नाम ....

दिनांक	आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास का पता एवं टेलिफोन नम्बर, यदि कोई हो।	आवेदक की समस्या का संक्षिप्त विवरण	समस्या के निवारण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण	आवेदक के हस्ताक्षर	टिप्पणी

नोटः– संबंधित जिला प्राधिकरण/समिति आवश्यकतानुसार कॉलम बढ़ा सकते है।